रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1989/भाद्रपद 1, 1911
No. 443] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1989/BHADRA 1, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1989

सा.का.नि. 780(अ) :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट केरल सरकार के दिनांक 12 जुलाई 1988 तथा 26 जुलाई 1988 में प्रकाशित, कोचीन पत्तन के न्यासियों के मंडल द्वारा कोचीन पत्तन तथा गोदी (संशोधन) विनियम, 1988 को संशोधन सहित अनुमोदित करती है ।

[फाइल सं. पी आर 16014/1/88-पी जी]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 123 की उप-धारा (च) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास के न्यासियों का मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिन्हें केरल सरकार के क्रमशः राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 1988 तथा 26 जुलाई, 1988 के दो आनुक्रमिक सप्ताहों में, उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केन्द्रीय सरकार की सहमति से प्रकाशित किया गया है ।

1. (i) संक्षिप्त शीर्ष :—इन विनियमों को कोचीन पत्तन और गोदी संशोधन विनियम, 1988 कहा जाएगा ।

(ii) लागू करना :—ये विनियम सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कोचीन पत्तन और गोदी विनियम, 1975 (इसके पश्चात् ये उक्त विनियम कहे जाएंगे) में विद्यमान विनियम 17 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"17. चैनल के बाहर प्रस्थान, हेतु पड़े जहाज" प्रवेश चैनल के पास बाहरी सड़कों पर पड़े किसी जहाज को मास्टर अथवा स्वामी द्वारा तभी भेजा जा सकेगा यदि और जब कभी उपाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित होगा । ऐसा प्रस्थान उपाध्यक्ष के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् एक घंटे के भीतर प्रभावी होना चाहिए । तथापि इस समय-सीमा में उपाध्यक्ष द्वारा विशिष्ट स्थिति में ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड कर ढील दी जा सकेगी। ऐसा प्रस्थान, ऐसे आदेशों की प्राप्ति के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर न किए जाने अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त समय-सीमा के आगे बढ़ाए जाने पर, जहाज को उपाध्यक्ष के आदेशों एवं निर्देशों के अधीन मास्टर अथवा स्वामी के स्वयं के जोखिम व खर्च पर प्रचालित किया जाएगा ।"

3. उक्त विनियमों में विद्यमान विनियम 23 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"23. सक्षम व्यक्तियों के प्रभार में होने वाले जहाज" ऐसे समय के दौरान जब जहाज पत्तन पर रहता है तो मास्टर अथवा स्वामी अथवा कोई ऐसा अधिकारी जो तीसरे अधिकारी की श्रेणी से कम का न हो, जहाज का प्रभारी होगा तथा समुचित कर्मी दल सदा बोर्ड पर रहेगा और अधिकारी प्रभारी जहाज से संबंधित अथवा उस पर माल के चढ़ाने और उतारने संबंधी सभी ड्यूटियों का संचालन एवं निर्देशन करेगा । अधिकारी-प्रभारी के पास सक्षमता प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में जहाज का स्वामी स्वयं इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. उक्त विनियमों में विद्यमान विनियम 107 के उप-विनियम 10(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"107-10(iv) :—विसफोटक पदार्थों का प्रमुख निरीक्षक, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जलरुद्ध होज प्रणाली के अतिरिक्त अन्य साधन यांत्रिकी और वैद्युतीय लीक—प्रूफ सततता को सुनिश्चित करेगी तो वह लिखित आदेशों द्वारा उप-विनियम 10(1) के प्रावधानों से किसी विशिष्ट मामले में छूट प्रदान कर सकेगा ।

5. उक्त विनियम में विद्यमान विनियम 135 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"135. बोर्ड का माल के लिए स्थल का आरक्षण करने हेतु बाध्य न होना । बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह ट्रांजिट इत्यादि के दौरान नष्ट हुए तथा उन मालों के लिए जिनका उनके गोदाम अथवा खुले में संग्रहण करना किसी भी प्रकार पत्तन के हित को प्रभावित करता हो, किसी भी माल को स्वीकार न करे । जोखिमी/ज्वलनशील कार्गों को केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए आरक्षित स्थलों पर ही भंडारण की अनुमति दी जाएगी ।

पी० के० भास्करण, उप सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1989

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124 read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby approve with modification the Cochin Port and Dock (Amendment) Regulations, 1988, made by the Board of Trustees of Cochin Port in exercise of the powers conferred on them by Section 123 of the said Act and Published in the Kerala Government Gazette dated 12th July, 1988 and 26th July, 1988 as detailed in the schedule annexed to this Notification.

[File No. PR-16014/1/88-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

## SCHEDULE

## NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (f) and (k) of Section 123 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations, the same having been published for two successive weeks, in the Kerala Government Gazette dated 12th July, 1988 and 26th July, 1988 respectively, with the approval of the Central Government under Section 124 of the Said Act.

1. (i) Short Title.—These Regulations may be called "the Cochin Port and Dock Amendment Regulations, 1988."

(ii) Commencement.—They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Cochin Port and Dock Regulations, 1975, (hereinafter referred to as the said Regulations) the existing regulation 17 shall be substituted by the following :—

"17. Vessels lying outside the channel to be moved.—A vessel lying at the outer roads near the entrance channel shall be removed by the master or owner if and when required by the Deputy Conservator. Such removal should be effected within one hour on receipt of order of the Deputy Conservator. However this time limit may be relaxed by the Deputy Conservator in exceptional cases after recording in writing the reason for doing so. Should such removal not be effected promptly within one hour or such further time limit as allowed by the Deputy Conservator it shall be carried out under the orders and directions of the Deputy Conservator at the risk and expense of the master or owner of such vessel".

3. In the said Regulations, the existing Regulation 23 shall be substituted by the following :—

"23. Vessels to be in charge of competent persons.—During such time a vessel remains in Port the master or owner or a responsible Dock officer not below the rank of 3rd Officer shall be incharge of the vessel and sufficient crew shall always to be on board and the officer-in-charge shall superintend and direct the carrying out of all duties in connection with the vessel or loading or unloading her cargo. In case of such officer in charge of a vessel is not a holder of certificate of competency the master of the vessel shall be responsible for his action".

4. In the said Regulations, the existing sub-regulations 10 (iv) of Regulation 107, shall be substituted by the following :—

"107-10 (iv).—The Chief Inspector of Explosives may be written order grant exemption in any particular case from the provisions of sub-regulation 10 (i) if he is satisfied that any means other than armoured hose system will ensure mechanically and electrically leak proof continuity."

5. In the said Regulations the existing Regulation 135 shall be substituted by the following :—

"135. Board not bound to find storage space for goods.—The Board shall have the right not to accept any goods damaged during transit etc. and goods the storage of which shall affect the interest of the port in any manner for storage either in their godown or in open. Hazardouse|poisonous|inflammable cargo shall be permitted to be stored only at places earmarked for such purposes.

P. K. BHASKARAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989